

पत्र संख्या-स्था-2-विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/2025-26/

/ राज्य कर 2623

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ, दिनांक 29/08/2025

/8/

// आदेश //

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मोहन नगर, गाजियाबाद में FUNCTIONING OF MOBILE UNITS के सम्बन्ध में दिनांक 02-09-2025 से 04-09-2025 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तक प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है:-

SN	EMPID	NAME	DES	OFF_NAME	MOBILE
1.	125765	Chitrakshi Ms.	AC	AC (Mobile Squad) - 2,Agra	7235001633
2.	125799	Swastik Singh Ms.	AC	AC (Mobile Squad) - 1,Agra	9415617037
3.	125082	Ankita Rani	AC	AC (Mobile Squad) - 3,Aligarh	7235001568
4.	124844	Mithulesh Kumar	AC	AC (Mobile Squad) - 2,Aligarh	7235003144
5.	125835	Shikha Singh Smt.	AC	AC (Mobile Squad) -5,Noida	9450953445
6.	125483	Sweta Ojha Ms.	AC	AC (Mobile Squad) -6,Ghaziabad	9125178176
7.	124842	Gyanendra Singh	AC	AC (Mobile Squad) -9,Ghaziabad	9415195586
8.	125368	Tabassum Siddiqui	AC	AC (Mobile Squad) -4,Meerut	9236513501
9.	124495	Madhusudan Singh	AC	AC (Mobile Squad) -1,Muzaffarnagar	9454019761
10.	127214	Prashant Kumar Dubey	AC	AC (Mobile Squad) -2,Saharanpur	9807204653
11.	125850	Nitin Kumar Bajpai	AC	AC (Mobile Squad) Khatauli	7838961186
12.	127403	Bineet Sukhija	STO	AC (Mobile Squad) - 3,Agra	9729780910
13.	127230	Pawan Kumar	STO	AC (Mobile Squad) - 6,Agra	8802578572
14.	125910	Jyoti Saraswat Ms.	STO	AC (Mobile Squad) - 8,Agra	8510078729
15.	127457	Sanjai Kumar Jaiswal	STO	AC (Mobile Squad) - 1,Aligarh	9793789331
16.	125916	Devesh Kumar Singh-II	STO	AC (Mobile Squad) - 2,Mathura	9899727621
17.	127272	Shivendra Raj Singh	STO	AC (Mobile Squad) - 4,Mathura	8887761807
18.	127210	Sushma Ms	STO	AC (Mobile Squad) -6,Noida	7985605207
19.	127151	Richa Maurya Ms	STO	AC (Mobile Squad) -3,Ghaziabad	8423569464
20.	127626	HEMA GOEL	STO	AC (Mobile Squad) -5,Ghaziabad	9411271974
21.	127060	Novil Kumar	STO	AC (Mobile Squad) -7,Ghaziabad	9990380134
22.	126207	Pradeep Singh	STO	AC (Mobile Squad) -8,Ghaziabad	9450356267
23.	127209	Manisha Dhamm Ratna Ms	STO	AC (Mobile Squad) -1,Meerut	9911343991
24.	999941	Arvind Kumar Singh	STO	AC (Mobile Squad) -5,Meerut	9999290320
25.	127517	Rajesh Kumar	STO	AC (Mobile Squad) -1,Saharanpur	9873188756
26.	127117	Ramesh Prasad	STO	AC(Mobile Squad) -2,Shamli	8587833619

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक 02-09-2025 से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मोहन नगर, गाजियाबाद के कार्यालय में प्रत्येक दशा में उक्त दिनांक 02-09-2025 की प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमत्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं:-

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरान्त किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवांटीट कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा।
- अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना / मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।

- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाइल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायेगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं० 4905 दि० 15.03.2018 के प्रस्तर ग के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. ज्याइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by

JASMINE

(जैस्मिन)

Date: 29-08-2025

संयुक्त आयुक्त (स्थापना)

राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।